



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042022-234809
CG-DL-E-04042022-234809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944

No. 176]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/ CHAITRA 11, 1944

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2022

फा.सं. CEA-PS-13-17(42)/4/2022-PSPM Division.—जबकि मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 406, हब टाउन सोलारिस एन.एस. फडके मार्ग, अंधेरी (ई), मुंबई - 400069 है, ने पारेषण योजना “कोलायत तहसील, बीकानेर, राजस्थान में अपनी 320MW सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की कनेक्टिविटी प्रणाली” के तहत बिजली की तारें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. I/18277/2021 दिनांक 12.10.2021 के द्वारा पारेषण योजना “कोलायत तहसील, बीकानेर, राजस्थान में अपनी 320MW सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की कनेक्टिविटी प्रणाली” के लिए मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 27.10.2021 (हिंदुस्तान टाइम्स, प्रातःकाल और दैनिक लोकमत) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 04 दिसंबर - 10 दिसंबर, 2021 को, प्रकाशित किया गया था। जिसमें पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात्, मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 11.02.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “कोलायत तहसील, बीकानेर, राजस्थान में अपनी 320MW सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की कनेक्टिविटी प्रणाली” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

इस योजना के तहत निम्नलिखित ओवरहेड लाइनें शामिल हैं -

1. अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सोलर पावर प्लांट, कोलायत तहसील, बीकानेर, राजस्थान - भड़ला -II पी.एस 220 के.वी. एस./सी. लाईन

स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांसमिशन लाइन्स निम्नलिखित तहसीलों, तालुकों, मंडलों, ब्लॉक, गांवों, नगरों तथा शहरों से, ऊपर, आसपास तथा बीच से होकर गुजरेगी।

लाईन : अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सोलर पावर प्लांट, कोलायत तहसील, बीकानेर, राजस्थान - भड़ला -II पी.एस 220 के.वी. एस./सी. लाईन

राज्य : राजस्थान

गावों के नाम	तहसील	ज़िला
नोखड़ा	कोलायत	बीकानेर
खिदरत	बाप	जोधपुर
कानसिंह की सीड	बाप	जोधपुर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड को उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांसमिशन लाइन्स को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति लेनी होगी।
- (iii) आवेदक विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस इत्यादि के संबंध में उपयुक्त आयोग के नियमों/कोडों का पालन करेगा।
- (iv) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- (vi) मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (vii) मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की रिट याचिका संख्या 838, 2020 के आईए नंबर 85618 का पालन करना होगा।

वी.के. मिश्रा, सचिव, के.वि.प्रा.
[विज्ञापन-III/4/असा./732/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 10th March, 2022

F. No. CEA-PS-13-17(42)/4/2022-PSPM Division.—whereas M/s Avaada Energy Private Limited, the applicant with its registered office at 406, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg, Andheri (E), Mumbai - 400069, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity system of Avaada Energy Private Limited for its 320MW solar power project in Kolayat Tehsil, Bikaner, Rajasthan”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No I/18277/2021 dated 12.10.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Avaada Energy Private Limited for the transmission scheme “Connectivity system of Avaada Energy Private Limited for its 320MW solar power project in Kolayat Tehsil, Bikaner, Rajasthan”.

M/s Avaada Energy Private Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 27.10.2021 (Hindustan times, Prathakal, Dainik lokmat) and in The Gazette of India, dated 04th December– 10th December, 2021, for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s Avaada Energy Private Limited has submitted an affidavit dated 11.02.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon it, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity system of Avaada Energy Private Limited for its 320MW solar power project in Kolayat Tehsil, Bikaner, Rajasthan”. The following overhead lines are covered under this scheme:

1. Avaada Energy Pvt Ltd solar power plant in Kolayat Tehsil, Bikaner, Rajasthan-Bhadla-II PS (ISTS sub-station) 220kV S/c line on D/c towers.

The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around and between the following of Tehsils, Talukas, Mandals, Blocks, villages, towns & cities.

Line : Avaada Energy Pvt Ltd solar power plant in Kolayat Tehsil, Bikaner, Rajasthan-Bhadla-II PS (ISTS sub-station) 220kV S/c line on D/c towers

STATE :RAJASTHAN

Villages name	Tehsil	District
Nokhra	Kolayat	Bikaner
Khidrat	Baap	Jodhpur
Kan Singh ki Seer	Baap	Jodhpur

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by Government or to be established or maintained upon M/s Avaada Energy Private Limited for laying above overhead line, subject to following terms and conditions:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vi) M/s Avaada Energy Private Limited shall submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

(vii) M/s Avaada Energy Private Limited shall comply with the direction of Hon'ble Supreme Court of India in its Order in I.A No. 85618 of 2020 dated 19.04.2021 related to GIB (Great Indian Bustard) in Writ Petition No. 838 of 2019 for laying of overhead transmission lines.

V.K MISHRA, Secy. C.E.A
[ADVT.-III/4/Exty./732/2021-22]